राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

दिनांकः– 20.5.2019

कमांक–प.(वि)प्रशा0 / आकाशि / सम्पर्क / 2019 / 3622

परिपत्र

विषयः–**समस्त शिकायतों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही बाबत् ।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सम्पर्क पोर्टल पर एवं आंतरिक शिकायत समिति को प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही करने हेतु निम्न दिशा–निर्देशों तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैः–

1. महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक शिकायत समिति **(ICC)** में नामित सदस्यों व प्रभारी के नाम व फोन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें ।
2. आदिनांक तक प्राप्त लिखित शिकायतों की जांच रिपोर्ट मय स्पष्ट अभिशंषा के 15 दिवस में पूर्ण कराई जावे ।
3. महिला उत्पीड़न सम्बन्धित परिवेदनाओं को संलग्न प्रपत्रानुसार द्वारा **(ICC)** सूचीबद्ध करावें ।
4. सम्पर्क पोर्टल परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु स्तर – I पर प्राचार्यों की निजी **Activated SSO-ID** सम्बन्धित महाविद्यालय के समक्ष लिंक कराये जाने हेतु **MAPPING** कार्यवाही पूर्व समसंख्यक पत्रांक 2884 दिनांक 15.03.2019 के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कराई जावे।
5. निर्धारित समय अवधि में प्राचार्य स्वयं की **MAPPED SSO-ID** से ही 15 दिवस में नामित नोडल के माध्यम से समसंख्यक पत्रांक 3469 दिनांक 13.05.2019 अनुसार परिवेदनाओं को निस्तारित करावें व संलग्न प्रपत्रानुसार सूचनाएं दिनांक 31 मई 2019 तक Email करावें ।
6. क्षेत्रीय कार्यालयों से सहायक निदेशक अपने **SSO-ID** से सम्पर्क शिकायतों का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे।
7. किसी प्रकार की निस्तारण समस्या आने पर विभागीय सम्पर्क प्रभारी, प्रशासन अनुभाग, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर से दूरभाष 0141–2702247 पर विमर्श करते हुये समयबद्ध कार्य पूर्ण करेगें ।
8. निजी संस्थाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण सीधे ही नोडल राजकीय महाविद्यालय से आवंटित क्षेत्रानुसार कार्य पूर्ण कराने का दायित्व स्तर – II का रहेगा ।
9. आयुक्तालय स्थित अनुभाग प्रभारी (वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक – आयोजना / रूसा / आर वी आरईएस / अकादमी / एचआरडी / निजी संस्थाएं / प्रशासन / आईटी) स्तर – III पर शिकायत के विषय, प्रार्थी के संवाद व पूर्व कार्यवाही प्रकिया विवरण का गहनता से विश्लेषण करते हुये समस्त अग्रेषित परिवेदनाओं पर अंतिम विभागीय कार्यवाही सम्पादित करेंगे ।
10. किसी भी स्तर पर परिवेदनाओं के निस्तारण में विलम्ब होने की स्थिति में सम्बन्धित स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुये उनसे स्पष्टीकरण मांगा जावेगा ।

सभी स्तर के अधिकारीगण इन दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार बोरड़)**IAS**
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
दिनांकः– 20.5.2019

कमांक–प.(वि)प्रशा0 / आकाशि / सम्पर्क / 2019 / 3622

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1– वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2– संयुक्त निदेशक, (आयोजना / रूसा / आरवीआरईएस / अकादमी / एचआरडी / निजी संस्थाएं / प्रशासन / आईटी), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3– समस्त प्राचार्यगण, राजकीय महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय / कन्या महाविद्यालय / राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स / राजस्थान संगीत संस्थान, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4– सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / कोटा / जोधपुर / अजमेर / बीकानेर / उदयपुर / भरतपुर ।
5– वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
6– आरक्षी पत्रावली ।

20/5/19
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र

क0सं0	सम्पर्क पोर्टल सम्बन्धित सूचना	
1	महाविद्यालय का नाम	
2	महाविद्यालय का ई–मेल आईडी	
3	प्राचार्य का नाम	
4	प्राचार्य की एसएसओ आईडी	
5	प्राचार्य का निजी मोबाईल नम्बर	
6	प्राचार्य का ई–मेल आईडी	
7	नोडल प्रभारी का नाम	
8	नोडल प्रभारी का पद	
9	नोडल प्रभारी का मोबाईल नम्बर	
10	नोडल प्रभारी का व्यक्तिगत ई–मेल आईडी	
	आंतरिक शिकायत समिति की सूचना	
11	समिति के गठन आदेश संख्या व दिनांक	
12	शिकायत समिति के प्रभारी का नाम व पद	
13	प्रभारी का मोबाईल नम्बर	
14	अन्य सदस्यों के नाम मय मोबाईल नम्बर	1. 2. 3. 4. 5.

31 मई 2019 तक प्राप्त महिला उत्पीडन प्रकरणों की सूची

क0सं0	परिवादी का नाम	वादी का नाम	सम्पादित कार्यवाही विवरण	प्राप्ति दिनांक	निस्तारण दिनांक
1					
2					
3					
4					
5					
6					

हस्ताक्षर
आईसीसी प्रभारी

हस्ताक्षर
सम्पर्क–प्रभारी

हस्ताक्षर
प्राचार्य

cmhelplinecolledu@gmail.com पर दिनांक 31 मई 2019 तक आवश्यक रूप से Email करावें।

30/5/19

(डॉ. के. एल. सिरायना)
उप निदेशक (प्रशासन)